#### कार्यालय

#### प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा

दूरभाष : 05962-230065, फैक्सः 05962-232182 ई—मेल almoraforestdivision@rediffmail.com पत्रांक २२७० / १२ - १८२० अल्मोड़ा दिनांक २४ - १७००, 2016

सेवा में,

वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड अल्मोड़ा।

विषय

कुनोली-मुनड़ा देवीखाल मोटर मार्ग ।(प्रस्ताव सं0 10159/2015)

सन्दर्भ

आनलाइन आपत्ति दिनांक 24.10.2016

महोदय,

विषयगत प्रकरण में लगाई गई आपत्तियों का निराकरण निम्न प्रकार कर दिया गया है।

क्र. सं.	आपत्ति	निराकरण
1	2	3
1.	Thought in reply to point no. 4 digital map of the proposal road showing geo coordinates at all turning points has been uploaded at C (iv) Part I but the shape of the proposed road in this digital map is not matching with the shape of the proposed road uploaded in the KML file at C ii (b).	Corrected digital map of the proposal uploaded at C (iv) Part-(I).
2.	In reply to point no.8 it is mentioned that revised CA scheme is uploaded at L (iv) Part I but there is no such column in the online performa Part I. The CA scheme uploaded at 13 Part II is for 6.40 ha which needs to be revised as asked in point no. 8 of the EDS dated 05.07.2016.	Revised CA scheme uploaded at Additional information in Form A Part-I column L (iv)(b).
3.	The reply to point no. 7 of this office EDS date 05.07.2016 is not complete. The FRA certificate now uploaded at K Part I online us undated and proceeding of the meeting of Village Level Committee are provided only for village Bheyari only. May provide/upload FRA certificate with date and copy of the proceedings of the meeting of Village Level Committee for the remaining 6 villages.	In this proposal 5 villages are benefited, FRA certificate of 5 village uploaded at K Form A Part-(I).
4.	In online colum 2 Part II the legal status fo land proposed for diversion is shown as village Forest 2.1 ha & Revenue Forest 1.12 ha whereas in the land scheduled uploaded as additional document in Part I the whole 3.22 ha land is shown as van panchayat land. May clarify.	Corrected land schedule uploaded as additional document in Part-(II)
5.	In reply to Point no. 2 it is mentioned that NPV calculation is uploaded by DFO in Part II but the same is not found uploaded in Part II online.	NPV की नवीन प्रमाण पत्र आनलाइन पुनः अपलोड कर दिया गया है।
6.	In reply to point no. 5 the digital map of CA is not uploaded at L (iv) C Part I properly since the same is not opening. May upload again.	क्षतिपूरक वृक्षारोपण का मैप पुनः पार्ट । के Additional information में उपलोड कर दिया गया है।
7.	As per Decision Support System (DSS) analysis of the KML file of CA area uploaded in Part I L, the area of CA is now correctly shown as 6.44 ha but out of this 3 ha area falls in Moderately Dense Forest (MDF). May explore the area of Moderately Dense Forest and upload revised KML file of CA area having 6.44 ha area without very dense or moderately dense forest. Revised digital map and location of CA area in SoI toposheet may also be uploaded/provided accordingly.	क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित सिविल वन भूमि 6.44है0में कई बडी—बडी झाडियाँ हैं जिसका क्षेत्र डैन्स नही है।क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त है जिसका मैप पार्ट। के Additional information में अपलोड कर दिया गया है।

– देवीखाल मोटर मार्ग निर्माण (लम्बाई 15.00 किमी०) र अस्ताज़ा न राज्य याजना क अन्तेगत कुनोली – मुनडा 0.5 1Km 79°6'0"E 79°7'30"E 79°9'0"E Burhakot Spring A1438 Himaula Rikwansi Math Kände Bhine O lorg Ajoli Adalli 1900 Achbrauh Talla Danyūra Acabralia Malla 29°34'30"N 79°6'0"E 79°7'30"E 79°9'0"E AME Legend Proposed Plantaion Bandran Basal Civi RANTEFET (Almora)

## परियोजना का नाम: - जनपढ अन्माड़ा चुलोली गुनड़ा - देवीरवाले भारमणी

## एन०पी०वी० की धनराशि का आंकलन

प्रमाणित किया जाता है कि भारत सरकार, पर्याचरण वन मंत्रांलय के आदेश संख्या 5—3/2007—एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार आवेदन वन भूमि हेतु एन0पी0वी0 की देयता निम्नानुसार है :-

	( )	T
1-	डका-क्लास	No. 1 and the second se

- 2- हरियाली का घनत्व 6.3
- 3— एन0पी0वी0 की दर प्रति है0 <u>65700</u>/—
- 4- -आवेदित वन भूमि का क्षेत्रफल है० उ. 2 20 हैं
- 5— कुल देय एन०पी०वी० की धनराशि रू० 215540/- इंक कीस लाख प-५७

प्रभागीय वनाधिकारी अल्मोड़ा वन प्रभाग अल्मोड़ा

#### कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रानीखेत

Ph. No. 05966-220679 Fax No. 05966-220679

E-mail - eepdrani@yahoo.com

पत्रांक 2558 / 36सी.

दिनांक रानीखेत अक्टूबर 24 ,2016

प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग,

अल्मोङ्ग ।

 जनपद अल्मोड़ा में विधानसभा सल्ट के अन्तर्गत कुनोली मुनोड़ा देवीखाल मोटर मार्ग का निर्माण।(प्रस्ताव संख्या–10159/2015)

महोदय,

उपरोक्त विषय के क्रम में अवगत कराना है कि दिनांक 24.10.2016 को प्रस्ताव में लगाई गई आपत्तियों का निम्नानुसार निराकरण कर प्रस्ताव पुनः आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जा रहा है—

क्र. सं.	आपत्ति	निराकरण
1	2	3
1.	Thought in reply to point no. 4 digital map of the proposal road showing geo coordinates at all turning points has been uploaded at C (iv) Part I but the shape of the proposed road in this digital map is not matching with the shape of the proposed road uploaded in the KML file at C ii (b).	Corrected digital map of the proposal uploaded at C (iv) Part-(I).
2.	In reply to point no.8 it is mentioned that revised CA scheme is uploaded at L (iv) Part I but there is no such column in the online performa Part I. The CA scheme uploaded at 13 Part II is for 6.40 ha which needs to be revised as asked in point no. 8 of the EDS dated 05.07.2016.	Revised CA scheme uploaded at Additional information in Form A Part-I column L (iv)(b).
3.	The reply to point no. 7 of this office EDS date 05.07.2016 is not complete. The FRA certificate now uploaded at K Part I online us undated and proceeding of the meeting of Village Level Committee are provided only for village Bheyari only. May provide/upload FRA certificate with date and copy of the proceedings of the meeting of Village Level Committee for the remaining 6 villages.	In this proposal 5 villages are benefited, FRA certificate of 5 village uploaded at K Form A Part-(I).
4.	In online colum 2 Part II the legal status fo land proposed for diversion is shown as village Forest 2.1 ha & Revenue Forest 1.12 ha whereas in the land scheduled uploaded as additional document in Part I the whole 3.22 ha land is shown as van panchayat land. May clarify.	Corrected land schedule uploaded as additional document in Part-(II)
5.	In reply to Point no. 2 it is mentioned that NPV calculation is uploaded by DFO in Part II but the same is not found uploaded in Part II online.	Part of DFO.
6.	In reply to point no. 5 the digital map of CA is not uploaded at L (iv) C Part I properly since the same is not opening. May upload again.	Part of DFO.
7.	As per Decision Support System (DSS) analysis of the KML file of CA area uploaded in Part I L, the area of CA is now correctly shown as 6.44 ha but out of this 3 ha area falls in Moderately Dense Forest (MDF). May explore the area of Moderately Dense Forest and upload revised KML file of CA area having 6.44 ha area without very dense or moderately dense forest. Revised digital map and location of CA area in Sol toposheet may also be uploaded/provided accordingly.	

अधिशासी\अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रानीखेत

प्रपत्र-23

परियोजना का नाम :--

जनपढ़ - मार्ग हैं कुली की मुनड़ी- हैरीरवाल

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम — इहला - अगड़ी तहसील स्तर्र, जिला उत्तर्भाऽ)

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मित से निर्णय लिया गया / प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम <u>इस्ती भारी</u> के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

श्राय पंच्ह्या विकास अधिकारी ग्राम ग्रांतमात्सचिव

वि० ख० सल्ट (अल्मोड़ा)

उन्हें १९९८ है। ग्राम प्रवान

नोट :-- \* यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है, तो तद्नुसार उसका विवरण उक्त प्रपन्न में दिया जाय। उक्त प्रपन्न उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा।

प्रपत्र-23.2 कार्यालय उप जिलाधिकारी, राव्ले अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण-पत्र उपखण्ड स्तरीय समिति, -परिक्षेत्र के अन्तर्गत कुलो सिट्ट हैं। आरक्षित वन भूमि। -200हें। सिविल एवं सीयम वन भूमि। 12 हैं। 3-2-20 BO कुल वन विकाल प्रयोवता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील —) की दिनांक <u>-<del>||-0||20|</del></u>को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:--अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम् 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है। श्री - एम् एम राष्ट्र - उपजिलाधिकारी --श्री \_\_\_\_\_ उप प्रभागीय वनाधिकारी— श्री स्वर्भ भन्ता सहायक समाज कल्याण अधिकारी-श्री गणेडा रिव्हरान्मी०डी०सी० क्षेत्र — उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया -परियोजना हेतु.३:.2.2.हे0 वन भूमि प्रा० रव० को नि 1999111100 प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लिम्बत नहीं है। उक्त ित्रकृषि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है। संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, राजीर्ज व द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में

उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापित जारी की जा सकती है।

#### प्रपत्र-23.1

ग्राम पंचायत ..............................

T	9/8	/
ग्राम सभा में उ	उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	analem.
HEDAY THEE	1m32 - 16166	हस्ताक्षर
-		· CMC
7 (		CS .
उक्त भेना	6	Jung 5
11.6		RHIHE
		माहन मिह
		, 211नि अहरी
लायम रि		4-47 mi
12939	く 1 万 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11	12 m 201 1705
		- Cra 6
1000		
4	2	
	प्रकार सिंह प्रकार कर राम सिंह राम सिंह राम प्रवास प्रवास 12	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम  ग्रेट्य रिन्ह 2012 - Secal  प्रकार किया है

याम प्रचायत विकास अधिकारी पाम प्रवास विकास अधिकारी पाम प्रवास विकास अधिकारी विव खा

ग्राम प्रधान

4			
(4)	5	$\overline{}$	1
The second second	1	1	
	-(-	-	()

4				el la	
- 1	वैठक में		से उपखण्ड		रिक्षेत्र के अन्तर्गत
हे0 वन प्रत्यावर्ति	भूमि 3.22	प्रयोक्ता एजे ने पर सहमति व	न्सी को जनहि यक्त की गरी।	परियोजना के वि त में सक्षम प्राधिकारी	नेमिण हेतु लाहे का के अनुमति प्राप्त क
	(*)	* * 1/200	12.4	L	7
37	1	9		चप जिल्लाह	विकारी / अक्ष्यक्ष
		1-		वपखण्ड स्त्रिय	वन अधिकार समिति
				तहसील	3.0
(e)		ži.	99	3)	E 35 7 39
प्रतिलिपि	ः जिलाधिय	गरी, स्तर	J	m)	
				. को सूचनार्थ एवं आव	श्यक कार्यवाही हेतु।
	m		1.5		/
				L ma	
			12	उप जिल्लीश्रेकार	री / अक्यक्ष
	-			चपखण्ड स्तरीय वन तहसील—	आधकार समिति
	11 %	8 n		जनपद	

(5)

After serutiny of the documents and detailed discussions. no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommend the above for diversion of land for the said purpose.

Place: Almora

Date:

(Full name of the official seal of the District Collector)

#### FORM-1 Government of Uttarakhand Office of the District Collector : Rudrapraya

No :		Dated:
	TO WHOMSOEVENT IT MAY C	ONCEREN
	In Compliance of the Ministry of Environen	

In Compliance of the Ministry of Environment and Forest(MoEF), Government of India's letter No:- 11-9/98-EC(pt) dated 3<sup>rd</sup> August 2009 wherein the MoEF issued guideline on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of right under the scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers)Rocognitation of Forest Right, Act 2006(FRA, for Short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5<sup>th</sup> February 23013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of liner projects. It is certified that 3:220 hectares of forest land proposed to be diverted in favor of Rural Development Dept. Uttarakhand (Name of user agency) for Construction. But Island Municipal Devil Devil Municipal Devil Municipal Devil Municipal Devil D

(Purpose for diversion of forest land) in Ply 9 district falls within jurisdiction of willage(s) in Salt.....Tehsils.

It is further Certified that:

- (a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 2:.220. Hactares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the forest Rights Committee(s), Gram sabha(s), Sub-Division Level committee(s) and District Level Committee are enclosed as annexure I to-annexure.
- (b) The diversion of forest land for facilties managed by the Government as required under section 3(2) to the FRA have completed and the Gram sabhas given their consent of it.
- (c) The proposal dose not involve recognized of primitive Trible Groups and preagricultural communities.

Encl: As above

(Full name of the official seal of the District Collector)

#### 'It is further certified that

S.N.	A Committee of the comm	Remarks
(a)	The complete process for identification and settlement of right under the FRA has been carried out for the entire 2.362 het. of forest area proposed for diversion/copy of records of all consultations and meetings of the forest Rights committee(s) and the District level Committee are enclosed annexure 1 to annexure.	Not applicable as there are no habitats belonging to scheduled tribus and other Traditional forest Dwellers.
(b)	The diversion of forest land for Facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA have been Complete and the Gram Sabhas have given their consent to it.	Not applicable as there are no habitats belonging to scheduled tribes and other Traditional forest Dwellers there is no objection certificate of concerned motor road is affixed in the forest file
(c)	The proposal does not involve recognized rights of primitive Tribal Groups and preagricultural communities.	Not applicable as there are no habitats belonging to scheduled tribes and other traditional forest Dwellers.

Encl: As above

(Full name of the official seal of the District Collector)

#### प्रपत्र-23

परियोजना का नाम :- जनपट्र अल्प्रेड में कुछाली-सुन्डा देशिएल मार

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापित्त प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम - बाजी द्वार् बरिक्षण / रगडगाहु तहसील सक्ते

द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेत्। आवेदन प्रस्तत किया गया।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मित से निर्णय लिया गया / प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम — कर्जिया के ग्रामवासियों को उत्त वन भूमि जान एक लिए कि ग्रामवासियों को उत्त वन भूमि कोई आपत्ति नहीं है।


प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

्राव्हाक्ष्य स्थार्थाक्ष्य प्राव्हाक्ष्य प्राप्तिक्ष्य

ह0/- ' ग्राम सचिव

श्राम पचायत श्लह्माह् वि०स्त्र० सस्ट जिल्ला ब्रह्मोह्रा

नोट :— \* यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है, तो तद्नुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय। उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा।



परियोजना का नाम :- जन्

कार्यालय उप जिलाधिकारी, 🗢 🗠 अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण-पत्र उपखण्ड स्तरीय समिति, -रुल्ट

परिक्षेत्र के अन्तर्गत कुल्पा कर्मा -है0 आरक्षित वन भूमि,!'122 है0 सिविल एवं सीयम वन भूमि 2110 है0 2:920 青0 अर्थात कुल वन ल्लिक किये जाने हेतु अनूसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील रूक्ट्र ) की दिनांक 17-01-2015 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:--

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री <del>राहर एराज्य राहर</del>, उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

स्ट्रिक्करामा चपजिलाधिकारी --उप प्रभागीय वनाधिकारी *उन्हेर्यक* के जिल्हायक समाज कल्याण अधिकारी - सदस्य/सचिव श्रीम्भी क्यांस देखां बीठडीठसीठ क्षेत्र -

> उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया ग्रया

कालका में कुलो भी - सुनड़ा देना खाला -परियोजना हेत<u>ु.३.१२०</u>हे० वन प्राचीत्र रक्ष को नि नि भूमि

क्रिक्टी प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लिखत नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, <u>रानस्थित</u> द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2008 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में जपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापित जारी की जा सकती है।

	×	ø	~	•
4	r	1	- 4	٠,
•		,		-1
1		ı		- 1
١		8		,,

#### FORM-1 Government of Uttarakhand

No :	Office of the District Collector : Almora	
No :	Mimora	
		Dated:

### TO WHOMSOEVER IT MAY CONCEREN

In Compliance of the Ministry of Environment and Forest(MoEF), Government of India's letter No:- 11-9/98-EC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guideline on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of right under the scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers(Recognitation of Forest Rights, Act 2006 (FRA, for Short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 where in MoEF issued certain relaxation in respect of liner projects. It is certified that...S. 220 .....hectares of forest land proposed to be diverted in favor of Rural Development P.W.D. Dept. Uttarakhand (Name of Construction of Hulali marrow Devikhal motor Road

for diversion of forest land) in Almara.....district falls within jurisdiction (Purpose Kot Jaspur village(s) in Salt Tehsils.

......

It is further Certified that:

- The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has (a) been carried out for the entire 3.320 ... Hactares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the forest Rights Committee(s), Gram sabha(s), Sub-Division Level committee(s) and District Level Committee are enclosed as annexure I to-annexure.
- The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) to the FRA have completed and the Gram sabhas given their (b)
- The proposal dose not involve recognized of primitive Tribal Groups and pre-(c) agricultural communities.

Encl:As above

दिया-यत्नीस (प्रस्रपणः)

(Full name of the official seal of the District Collector)

THE TENED TO SEE THE SECOND SE

(12)

परियोजना का नाम :- जनपद - फळाड़ में कुलो की - सुन्छ - प्रवर्भवता

कार्यालय उप जिलाधिकारी, <u>रूल्ट</u> अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण-पत्र उपखण्ड स्तरीय समिति, <del>रूर</del>ू

उपखण्ड रूट्य परिक्षेत्र के अन्तर्गत क्रिक्ट का रिवर का स्मान के अन्तर्गत क्रिक्ट का स्मान का सूमि श्री का स्मान का सूमि का स्मान का सूमि का स्मान का सूमि का अर्थात का सूमि का स्मान का सूमि का अर्थात का सूमि का अर्था का सूमि का अर्थात का सूमि का अर्थात का सूमि का अर्था का सूमि का सूम का सूमि का सूम का स

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

भी स्टार्ड उपार्था जपजिलाधिकारी — स्टब्स अध्यक्ष श्री की के रिवार प्रमागीय वनाधिकारी — सदस्य सदस्य सिंचव स्थाप अधिकारी जिल्हा सदस्य सिंचव

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया

कि नम्या, - कल्पांत्र) इने क्लिको मी - सुनड़ा, देलाखाला मोटर स्था - जा न्या प्रस्मीता परियोजना हेतु.ड.१२२०हे० वन भूमि प्राचीत्र स्वएड क्लोटा निटानिट रामीर्याल

प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लिम्बत नहीं है। उक्त मूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मित से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, <u>रानिध्यत</u> द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

## FORM-1

A.	Government of 1344	
No.	Office of the Dietar Uttarakhand	
No :	Office of the District Collector : Alm	lore

Dated:....

## TO WHOMSOEVER IT MAY CONCEREN

In Compliance of the Ministry of Environment and Forest(MoEF), Government of India's letter No:- 11-9/98-EC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guideline on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of right under the scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers(Recognitation of Forest Rights, Act 2006 (FRA, for Short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 where in MoEF issued certain relaxation in respect of liner projects. It is certified that. 3:220 ... hectares of forest land proposed to be diverted in favor of Rural Development P.J. Dept. Uttarakhand (Name agency) Construction of Kulpli memorra- Devikhal motor Road

for diversion of forest land) in Amayo ..... district falls within jurisdiction (Purpose of Jaspur of village(s) in Salt Tehsils.

It is further Certified that:

- The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has (a) been carried out for the entire 3.220... Hactares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the forest Rights Committee(s), Gram sabha(s), Sub-Division Level committee(s) and District Level Committee are enclosed as annexure I to-annexure.
- The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required (b) under section 3(2) to the FRA have completed and the Gram sabhas given their consent to it.
- The proposal dose not involve recognized of primitive Tribal Groups and pre-(c) agricultural communities.

Encl: As above

100 7587 725 447


विवा-करोग (ग्रस्यावयः)


(Full name of the official seal of the District Collector)

WELLICITY HIN TO SO SO SO SO

डिजिटल मैप—जनपद अल्मोड़ा में राज्य योजना के अर्न्तगत कुनोली — मुनडा
— देवीखाल मोटर मार्ग निर्माण (लम्बाई 15.00 किमी0)


0 0.5 1Km





# जीयोरेफेरेन्स मैप — जनपद अल्मोड़ा में राज्य योजना के अर्न्तगत कुनोली — मुनड़ा — देवीखाल मोटर मार्ग निर्माण (लम्बाई 15.00 कि0मी0)





GPS CoordinatesProposed Road

#### लैन्ड शेड्यूल

परियोजना का नाम :- जनपद अल्मोड़ा में विधानसभा सल्ट के अन्तर्गत कुलोली-मुनड़ा-देवीखाल मोटर मार्ग का नव निर्माण। (लम्बाई 16.00 किमी:)

#### सिविल एवं सोयम, वन पंचायत एवं नाप भूमि का लैन्ड शेड्यूल के लिये (राजस्व विभाग)/जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र बेनाप/वन पंचायत भूमि

जिला	तहसील	ब्लाक	खसरा सं0	याचित क्षेत्रफल (है0)
अल्मोड़ा	सल्ट	सल्ट	वनं पचायत	2.10
अल्मोड़ा	सल्ट	सल्ट	राजस्व भूमि	1.12
			कुल योग :	3.22 ਵੈ0

(armet fans) armet sand armet sand armeter English and the

(AL)

वान्त्रातः वर्षात्रः । वर्षात्रः । वर्षात्रः (वर्षात्रः)

Winds D

**मति**इस्ताक्षरित

जिला अजिकारी जस्मीका

Aty